

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]

भोपाल, रविवार, दिनांक 6 अप्रैल 2014—चैत्र 16, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2014

फा. क्र. 22-2014-चार-302.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 576-एक्जिट-2014-एस.डी.आर.-खण्ड-I, दिनांक 3 अप्रैल 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2014—13 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

संख्या. 576-एक्जिट-2014-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यतः, लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम के विधान सभा-2014 के साधारण निर्वाचनों और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2014 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/10/13/2014; 10 मार्च, 2014 के सं. ईसीआई/पीएन/13/2014 और 27 मार्च, 2014 के सं. ईसीआई/पीएन/10/17/2014 के द्वारा कर दी गई थी;

2. और, यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 7 अप्रैल, 2014 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे तथा 12 मई, 2014 (सोमवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान लोक सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम-2014 की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों, जो कि लोक सभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.